

# उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 274 / 3-2 बजट (IWLMP)/26-27

दिनांक 17 अगस्त, 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,  
हल्द्वानी।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-03 समेकित वन्यजीव प्रबन्धन" (IWLMP) मद में आवंटित किये गये रु 31.88 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-107/3-5 दिनांक 11 अगस्त, 2026।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-03 समेकित वन्यजीव प्रबन्धन" (IWLMP) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रु 31.88 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड [www.ukcampa.org.in](http://www.ukcampa.org.in) पर fund released section में भी अपलोड है।

**प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रभाग द्वारा आवंटित धनराशि के उपयोग में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।**

- वर्ष 2026-27 हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रभाग द्वारा Digital APO में प्रस्तावित किये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-NA-5/1/2020-NA दिनांक 07.07.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रथम चरण में Work ID अनुसार प्रभाग के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत किये गये हैं। अतः प्रभाग द्वारा उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष उन्ही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जायेगी जिनकी Work ID राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत की गई है (Work ID की प्रति संलग्नक-क)।
- राष्ट्रीय कैम्पा के पत्र NA-15/4/2020-NA दिनांक 24.07.2026 व शासकीय पत्रांक-418674/X-2-2026-12(31) 2025-E-87865-1263 दिनांक 31.07.2026 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
- उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्य हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- कैम्पा के कार्यों में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
- अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
11. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
12. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
13. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
14. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

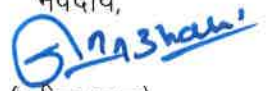
उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए-

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

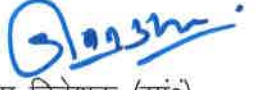
15. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS व परिवेश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
16. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से न कराया गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
17. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीकरण, IWLMP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
  
 (नवीन भट्ट)  
 उप निदेशक (सां०)  
 उत्तराखण्ड कैम्पा।  


पत्रांक:- 274 (1) / 3-2 बजट (IWLMP)/ 2026-27 दिनांकित  
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, रामनगर, उत्तराखण्ड।

  
 उप निदेशक (सां०)  
 उत्तराखण्ड कैम्पा।  


पत्रांक- 274 (2) / 3-2 बजट (IWLMP)/ 2026-27 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 उप निदेशक (सां०)  
 उत्तराखण्ड कैम्पा।  


(संलग्नक-क)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में (IWLMP) योजना के अंतर्गत प्रभाग द्वारा डिजिटल ए0पी0ओ0 में की गई पविष्टि के सापेक्ष राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रभाग की वर्क आई.डी. अनुसार अनुमोदित किये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य-

| Work ID             | Division Name          | UNIT   | Work Type                                                                                    | Proposed Physical | Proposed Financial |
|---------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| FC/CP/W/283069/2025 | TARAI CENTRAL DIVISION | Number | 1. Misc Expenditure                                                                          | 1                 | 300000             |
| FC/CP/W/283068/2025 |                        |        | 1. Stakeholder consultation & public awareness workshops                                     | 5                 | 100000             |
| FC/CP/W/283046/2025 |                        |        | 1. Patrolling kit for field staff.                                                           | 15                | 250000             |
| FC/CP/W/283063/2025 |                        |        | Wages of Staff deployed in hot spots of man animal conflict                                  | 2                 | 148824             |
| FC/CP/W/283072/2025 |                        |        | Logistics including equipments for QRT at Rudrapur                                           | 1                 | 100000             |
| FC/CP/W/283065/2025 |                        |        | Stationary and consumables including computer maintenance                                    | 3                 | 50000              |
| FC/CP/W/283027/2025 |                        |        | 1. Maintenance of barrier fencing                                                            | 7                 | 1240000            |
| FC/CP/W/283069/2025 |                        |        | Rent of vehicle to be used for data collection and QRT                                       | 1                 | 300000             |
| FC/CP/W/283035/2025 |                        |        | 1.Expenditure of PMU and equipments for staff e.g.computer hardware. Software, wireless bath | 9                 | 600000             |
| FC/CP/W/393817/2026 |                        |        | DP oil for vehicle                                                                           | 1                 | 100000             |
| <b>Total</b>        |                        |        |                                                                                              | <b>45</b>         | <b>3188824</b>     |

  
उप निदेशक (सां०)  
उत्तराखण्ड कैम्पा।